

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री रात्यनारायण आर.ए.एस.

वि०न० - 206/2024

अनुवाचन :-

1. मनजीत सिंह पुत्र लालसिंह जाति तरखान निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. लालसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति तरखान निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. किरणपाल कौर पुत्री लालसिंह पत्नी सरबजीत सिंह जाति रामगढ़िया निवासी सिखवाला तहसील लम्बी जिला श्रीमूक्तसर साहिब।
3. गिन्दर कौर पुत्री लालसिंह पत्नी भूपिन्द्र सिंह जाति रामगढ़िया निवासी सिखवाला तहसील लम्बी जिला श्रीमूक्तसर साहिब पंजाब।
4. अमृतपाल कौर पुत्री लालसिंह पत्नी गुरभीत सिंह जाति रामगढ़िया निवासी वार्ड नं० 10 चिस्तीया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।



प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान
काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री अब्दुल सतार जोईया वादी
श्री रामस्वरूप भादू प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 25/10/24


आज यह वाद मुझ रात्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व वकील प्रतिवादी श्री रामस्वरूप भादू अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 7 एफ.टी.पी. पटवार हल्का कुलचन्द्र के जमाबंदी खाता स० 147 संवत् 2075 सा 78 में दर्ज कुल 3.795 है आराजी में वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार किया जाकर मुताबिक घरू बंटवार वादी के हिस्सा की चक 7 एफटीपी के प०न० 213/250 मु० 72 किला न० 15 ता 20, 24/ प्रत्येक 0.253 है० नहरी प० न० 214/250 मु० न० 71 किला न०

आधिकारी मुद्रा
दिनांक 20/10/24
टिब्बी

1/02/24 महीने कुल 21226 हे० आराजी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम
जाये व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न
1/1/- रु का स्टाम्प तकसीलन शामिल किया जाये। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन
भूरा होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्ची उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 25/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।




(सत्यनारायण राव)
उपटुण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी